:: आदेश ::

जिलाधिकारी बड़कोट के पत्र संख्या 486/पी0ए0-विविध-पत्राचार /2017 दिनांक 09.11.2017 एवं तहसीलदार बड़कोट के पत्र संख्या 380/र0का0/क्षतिपूरक वृक्षारोपण दिनांक 08.11.2017 के द्वारा प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्ग जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव से स्यालना-भन्साड़ी मोटर मार्ग तथा पुजारगांव से पाली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। तहसीलदार बड़कोट के द्वारा अवगत कराया गया है, कि जिला कार्यालय के आदेश सं0 285/ग्यारह-09 (2014-15) दिनांक 23 मार्च, 2015 के द्वारा उक्त मोटर मार्गो के क्षेत्रफल के बराबर भूमि स्वीकृत हुयी है। जबकि मोटर मार्ग के क्षेत्रफल के दोगुनी सिविल भूमि की आवश्यकता है।

तहसीलदार बड़कोट द्वारा खरादी से स्यालना-भन्साड़ी मोटर मार्ग हेतु 3.640 हे0 भूमि के बदले ग्राम स्यालना के नॉन ज्येड.ए. खतौनी फसली वर्ष 1421 से 1426 के खाता सं0 23 के खसरा सं0 6324 म0 रकवा 6.076 तथा 6557 म0 रकवा 1.204 हे0 कुल 7.280 हे0 तथा पुजारगांव से पाली मोटर मार्ग के लिये 1.925 हे0 के बदले ग्राम पुजारगांव की वर्तमान नॉन ज्येड.ए. खतौनी फसली वर्ष 1419 से 1424 के खाता सं0 16 के खसरा संख्या 4741 म0 रकवा 3.850 हे0 भूमि उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3) ड0 की प्रस्तावित की गयी है। जिसका नक्शा खसरा तथा उद्धरण खतौनी संलग्न कर प्रेषित की गयी है।

शासनादेश सं0 397/XVIII (II)/2012 दिनांक 29 फरवरी, 2012 के अनुसार वनभूमि हस्तान्तरण के मामलों में जब उतनी भूमि दी जानी है, जितनी वनभूमि योजनाओं के लिये प्राप्त की जायेगी। शासनादेश के अनुसार ऐसी योजनाओं के लिये जिनमें भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 के बाद सैद्धांतिक अथवा अन्तिम स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की गयी है, कि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण दोगुनी अवनत गैर जमींदारी विनाश (सिविल सोयत भूमि) पर किया जायेगा तथा भारत सरकार को वर्तमान तक प्रेषित किये जा चुके ऐसे प्रस्ताव जिसमें दोगुनी अवनत वनभूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजनाओं के साथ वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव भेजा गया है उनके लिये किये गये प्रस्ताव के अनुरूप ही दोगुनी भूमि चिन्हित व हस्तान्तरित की जाय।

अतः उप जिलाधिकारी/तहसीलदार बड़कोट से प्राप्त आख्यानुसार खरादी से स्यालना-भन्साड़ी मोटर मार्ग हेतु 3.640 हे0 के बदले ग्राम स्यालना के नॉन ज्येड.ए. खतौनी फसली वर्ष 1421 से 1426 के खाता संख्या 23 के खसरा सं0 6324 म. रकवा 6.076 तथा 6557 म. रकवा 1.204 हे0 कुल 7.280 हे0 तथा पुजारगांव से पाली मोटर मार्ग के लिये 1.925 हे0 के बदले ग्राम पुजारगांव की वर्तमान नॉन ज्येड.ए. खतौनी फसली वर्ष 1419 से 1424 के खाता सं0 16 के खसरा संख्या 4741 म. रकवा 3.850 हे0 भूमि उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3) ड. की भूमि राजस्व अभिलेखों में अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित किये जाने स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

ह0/-
(डॉ आशीष चौहान)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी ।

संख्या 1089 /ग्यारह-09 (2014-15) दिनांक 29 नवम्बर, 2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- उप जिलाधिकारी/तहसीसलदार बड़कोट।

2- प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

3- अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई, सिं0ख0 पुरोला।

अपर जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।
29/11/17

उद्धरण खतौनी नकल ग्राम स्यालना पट्टी - कड़कोट, जिला उत्तरकाशी - तहसील कड़कोट फसली वर्ष 1421 से 1426 तक

मूलेख प्रपत्र सं0 प–11

(शासकीय प्रयोजनार्थ हेतु)

वर्ग 9 खाते के बाहर की कृषि योग्य भूमि:—

उत्तराखण्ड सरकार	1	1.484	
वर्ग 6 (3) 50 .X'	3	0.009	
	5	0.006	
	x	x	
	x	x	
	6320	0.130	
	6322	0.267	जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी के आदेश संख्या/
	6324	6.118	1089/ग्यारह -09 (2014-15) दिनांक 29 नवम्बर 2017
	6340	0.101	के क्रम में ग्राम स्यालना की ज0ब0 2:A खतौनी फसली
	x	x	वर्ष 1421 से 1426 के खाता स0 23 के खसरा नम्बर
	x	x	6324 म0 रकबा 6.076 तथा 6557 म0 रकबा 1.204
			है0 कुल 7.280 है0 भूमि राजस्व अभिलेखों में अपर
	8496	0.088	यमुना वन प्रभाग कड़कोट के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित
	8502	0.115	किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है तदनुसार अमलदरामद
	1058	124.764	हो, अमलदरामद कि रजिस्ट्रार कानूनगो R.K. कड़कोट
योग	1058	124.764	दि0 25/06/2018

(हस्ताक्षर) R.S.I. रजिस्ट्रार 17/07/2018

नकल असल से तैयार की गयी है।

(हस्ताक्षर) R.S.I. तहसील 17/7/2018

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 03 राजस्व परिषद् / 68–14–6–2010 (प–11) 1,00,000 फार्म (कम्प्यूटर / ऑफसेट)।